

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/22 पार्ट(12)

जयपुर, दिनांक : 19.06.2025

—: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'पंचम्' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास
1.	193/2013	श्री तपन थापा, कनिष्ठ लिपिक, भाषा एवं पुस्तकालय, जयपुर	31.5.2049	5/110, गांधीनगर
2.	83/2018	श्री प्रसन्न लाल मीना, कनिष्ठ लिपिक, जिला परिषद, जयपुर	30.03.2052	5/63, गांधीनगर (जीएडी/5/टी-1/160, विद्याधर नगर के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अंतर्गत)
3.	119/2020	श्री नवीन माली, लिपिक ग्रेड-I, शासन सचिवालय, जयपुर	30.09.2058	जी-959, गांधीनगर (नया नं 5/189)
4.	222/2020	सुश्री वन्दना गुप्ता, लिपिक ग्रेड-I, वित्त कर विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2055	जीएडी/5/टी-1/10, विद्याधर नगर
5.	122/2018	श्रीमती नीलम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।	30.11.2039	जीएडी/5/टी-1/107, विद्याधर नगर (जीएडी/5/टी-1/112, विद्याधर नगर के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अंतर्गत)
6.	136/2018	श्रीमती सुमन ओला, कनिष्ठ सहायक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर शहर, जयपुर	28.02.2047	जीएडी/5/टी-1/15, विद्याधर नगर
7.	137/2018	श्री तिलोकराम, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन	30.06.2046	जीएडी/5/टी-1/16, विद्याधर नगर



		संरक्षक, जयपुर		
8.	250 / 2020	श्री सुनील कुमार गुर्जर, लिपिक ग्रेड-II, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.08.2054	जीएडी / 5 / टी-1 / 19, विद्याधर नगर
9.	251 / 2020	श्री सरदार गुर्जर, लिपिक ग्रेड-II, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.03.2057	जीएडी / 5 / टी-1 / 23, विद्याधर नगर
10.	139 / 2018	श्री विपुल गर्ग, कनिष्ठ लिपिक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, जयपुर	31.10.2057	जीएडी / 5 / टी-1 / 25, विद्याधर नगर
11.	140 / 2018	श्री मुकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, पशुपालन विभाग, जयपुर	30.04.2052	जीएडी / 5 / टी-1 / 26, विद्याधर नगर
12.	141 / 2018	श्री नितेश यादव, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक अभियोजन निदेशालय जयपुर	31.12.2051	जीएडी / 5 / टी-1 / 30, विद्याधर नगर
13.	254 / 2020	सुश्री शिवानी रावलजाम, लिपिक ग्रेड-II, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2055	जीएडी / 5 / टी-1 / 33, विद्याधर नगर
14.	255 / 2020	सुश्री रेणु सैनी, लिपिक ग्रेड-II, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2057	जीएडी / 5 / टी-1 / 38, विद्याधर नगर
15.	142 / 2018	श्री प्रदीप कुमार जाणियाँ, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक अभियोजन निदेशालय जयपुर	31.12.2054	जीएडी / 5 / टी-1 / 39, विद्याधर नगर
16.	144 / 2018	श्री योगेश कुमार वर्मा, रीडर ग्रेड-III, अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 01, जयपुर	30.11.2055	जीएडी / 5 / टी-1 / 42, विद्याधर नगर
17.	145 / 2018	श्री विपिन कुमार, कनिष्ठ सहायक, राजस्थान निर्वाचन आयोग, राज0, जयपुर	28.02.2054	जीएडी / 5 / टी-1 / 44, विद्याधर नगर
18.	256 / 2020	श्री राजेश कुमार वर्मा, लिपिक ग्रेड-II, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2055	जीएडी / 5 / टी-1 / 48, विद्याधर नगर

19.	257 / 2020	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, लिपिक ग्रेड-II, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2054	जीएडी / 5 / टी-1 / 62, विद्याधर नगर
20.	146 / 2018	श्री कमल जांगिड, कनिष्ठ सहायक, राजस्थान निर्वाचन आयोग, राज0, जयपुर	31.12.2046	जीएडी / 5 / टी-1 / 64, विद्याधर नगर
21.	147 / 2018	श्री दुर्गा देवी आलोरिया, कनिष्ठ लिपिक, न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-7, जयपुर	31.07.2053	जीएडी / 5 / टी-1 / 65, विद्याधर नगर
22.	148 / 2018	श्री भंवर लाल यादव, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, भूजल विभाग, जयपुर	31.12.2053	जीएडी / 5 / टी-1 / 66, विद्याधर नगर
23.	258 / 2020	श्री अजित सिंह, लिपिक ग्रेड-II, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2058	जीएडी / 5 / टी-1 / 69, विद्याधर नगर
24.	259 / 2020	श्री नरेश कुमार मीणा, लिपिक ग्रेड-II, कार्मिक (ख-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.07.2058	जीएडी / 5 / टी-1 / 72, विद्याधर नगर
25.	148ए / 2018	श्री लक्की शर्मा, ग्रामीण विकास अधिकारी, पंचायत समिति झोटवाड़ा, जयपुर	28.02.2053	जीएडी / 5 / टी-1 / 76, विद्याधर नगर
26.	148सी / 2018	श्रीमती लिछमा देवी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	31.07.2036	जीएडी / 5 / टी-1 / 79, विद्याधर नगर
27.	149 / 2018	श्री राहुल चौधरी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर	28.02.2049	जीएडी / 5 / टी-1 / 80, विद्याधर नगर
28.	260 / 2020	सुश्री सुप्रिया, लिपिक ग्रेड-II कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2056	जीएडी / 5 / टी-1 / 83, विद्याधर नगर
29.	264 / 2020	श्री भारत भूषण कुशवाह, लिपिक ग्रेड-II, कार्मिक (ख-1) विभाग,	31.10.2049	जीएडी / 5 / टी-1बी

		शासन सचिवालय, जयपुर।		/89, विद्याधर नगर
30.	150 / 2018	श्री अंकुर ठुकरान, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर	31.01.2054	जीएडी / 5 / टी-1 / 91, विद्याधर नगर
31.	151 / 2018	श्री चेतन शर्मा, कनिष्ठ सहायक, राजस्व विभाग जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर	31.07.2043	जीएडी / 5 / टी-1 / 94, विद्याधर नगर
32.	152 / 2018	श्री दीपेन्द्र सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय निदेशक एनसीसी, जयपुर	31.01.2059	जीएडी / 5 / टी-1 / 104, विद्याधर नगर
33.	266 / 2020	सुश्री पूजा सिंह, लिपिक ग्रेड-II, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2058	जीएडी / 5 / टी-1 / 109, विद्याधर नगर
34.	272 / 2020	श्री सुनील कुमार मीना, लिपिक ग्रेड-II, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2049	जीएडी / 5 / टी-1 / 110, विद्याधर नगर
35.	153 / 2018	श्री अक्षय चौधरी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस (प्रशासन) ए.टी.एस. राजस्थान, जयपुर	31.08.2056	जीएडी / 5 / टी-1 / 119, विद्याधर नगर
36.	154 / 2018	सुश्री रजनी सैनी, कनिष्ठ लिपिक, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या-4, जयपुर	31.05.2051	जीएडी / 5 / टी-1 / 120, विद्याधर नगर
37.	156 / 2018	श्री चंद्रप्रकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक, उपवन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एन.टी.एफ.पी.), जयपुर	30.11.2056	जीएडी / 5 / टी-1 / 122, विद्याधर नगर
38.	274 / 2020	श्री योगेश कुमार, लिपिक ग्रेड-II, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2053	जीएडी / 5 / टी-1 / 123, विद्याधर नगर
39.	279 ए / 2020	सुश्री सुनीता चौधरी, लिपिक	31.08.2056	जीएडी / 5 / टी-1

		ग्रेड-II, कार्मिक (प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।		/125, विद्याधर नगर
40.	157/2018	श्री हंसराज कुमावत, कनिष्ठ लिपिक, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या-4, जयपुर महानगर, जयपुर	31.05.2047	जीएडी/5/टी-1 /128, विद्याधर नगर
41.	158/2018	सुश्री अपेक्षा शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.08.2055	जीएडी/5/टी-1 /136, विद्याधर नगर
42.	159/2018	श्रीमती शर्मा ललिताबेन रामकरण, कनिष्ठ लिपिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	29.02.2040	जीएडी/5/टी-1 /137, विद्याधर नगर
43.	285/2020	श्री अंकित कुमार मीना, लिपिक ग्रेड-II, कार्मिक (ख-1/पूल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2058	जीएडी/5/टी-1 /142, विद्याधर नगर
44.	286/2020	सुश्री ममता कुमावत, लिपिक ग्रेड-II, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2054	जीएडी/5/टी-1 /144, विद्याधर नगर
45.	160/2018	श्री गौरव कुमार जैन, कनिष्ठ सहायक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर	31.01.2052	जीएडी/5/टी-1 /146, विद्याधर नगर
46.	164/2018	सुश्री मेघना शेखावत, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय निदेशक सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर	31.03.2059	जीएडी/5/टी-1 /153, विद्याधर नगर
47.	168/2018	श्री सतीश चन्द मीणा, कनिष्ठ लिपिक, अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-20, जयपुर	30.04.2042	जीएडी/5/टी-1 /154, विद्याधर नगर
48.	287/2020	श्री रामकुंवार खदाव, लिपिक ग्रेड-II, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2053	जीएडी/5/टी-1 /159, विद्याधर नगर

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/ राज्य निर्वाचन आयोग/ राजस्थान विधानसभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग/ स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग/ भाषा एवं पुस्तकालय विभाग/ पशुपालन विभाग/ अभियोजन निदेशालय/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ एनसीसी/, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके

विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

5. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), अति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1/ न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-7/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 20/ विशिष्ट सहायक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण क्रम सं. 4/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. उपायुक्त, पुलिस मुख्यालय,, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. उप अधीक्षक, पुलिस (प्रशासन) ए.टी.एस., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. अति मुख्य/अधिशायी/सहायक अभियंता, भूजल विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. अति. प्रधान मुख्य वर संरक्षक, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. विकास समिति, पंचायत समिति, झोटवाडा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटिगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
13. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
14. अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
16. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
17. अधिशायी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर।
18. अधिशायी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/विद्याधर नगर, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर/पुलिस अकादमी परिसर, पानीपेच, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ

ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।

20. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे साथ ही पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

21. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।

22. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव